

केंद्रीय बजट 2023-24

चर्चा में क्यों?

भारत के वित्त मंत्री ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण **केंद्रीय बजट** (2023-24 के लिये) प्रस्तुत किया।

बजट और संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 112** के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को **वार्षिक वित्तीय वविरण** (Annual Financial Statement-AFS) कहा जाता है।
 - यह **एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वविरण** है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है)।
- समग्र रूप से बजट में नमिनलखिति बढुओं को शामिल किया जाता है:
 - **राजस्व और पूंजी प्राप्तियों** का अनुमान।
 - **राजस्व बढ़ाने के तरीके** और साधन।
 - **व्यय** अनुमान।
 - पछिले वित्तीय वर्ष की **वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का वविरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधशष का कारण**।
 - **आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति**, अर्थात् कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं/परयोजनाओं की शुरुआत।
- संसद में बजट **छह चरणों** से गुजरता है:
 - बजट की **प्रस्तुति**।
 - आम **चर्चा**।
 - वभिगीय समतियों द्वारा **जाँच**।
 - अनुदान मांगों पर **मतदान**।
 - **वनियोग वधियक** पारति करना।
 - **वित्त वधियक** पारति करना।
- वित्त मंत्रालय के अंतरगत **आर्थिक मामलों के वभाग का 'बजट प्रभाग'** बजट तैयार करने हेतु ज़मिमेदार केंद्रीय नकिया है।
- **स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।**

बजट 2023-24 के प्रमुख बढु:

- केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य वषिय **समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रति करना है जो वशष रूप से सबका साथ, सबका विकास** की अवधारणा को प्रोत्साहति करता है, जसिमें शामिल हैं:
 - **कसिान, महिला, युवा, अनुसूचति जाती, अनुसूचति जनजाति, अन्य पछिडा वर्ग (Other Backward Classes- OBC), दवियांगजन (PwD) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS)।**
 - वंचतों को समग्र प्राथमकता (वंचतों को वरीयता)।
 - **जममू-कशमीर और लददाख एवं पूर्वोत्तर कषेत्र** (Northeast Region- NER) के केंद्रशासति प्रदेशों पर भी नरितर ध्यान केंद्रति किया गया है।
- यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई **द्वि-आयामी विकास रणनीति** की तरज पर है:
 - नजी कषेत्र को प्रोत्साहन देकर रोज़गार सृजति करना और विकास को आगे बढ़ाना।
 - 'नयूनतम सरकार, अधिकतम शासन'; पूंजीगत परवियय (Capex) बढ़ाना और वनविश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना।
- **बजट की मुख्य उपलब्धियाँ:**
 - **नई आयकर व्यवस्था** में बदलाव (छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में)।
 - **पूंजी नविश परवियय में 33% की वृद्धि** का प्रस्ताव किया गया है, इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए (पछिले एक दशक में सबसे अधिक) किया गया है।

- सीमा शुल्क में परिवर्तन; मोबाइल फोन निर्माण, झीगा हेतु खाद्य आदि के लिये कुछ नविष्टियों के आयात में कमी और सगिरेट, सोने की वस्तुओं, योगिक रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई है।
- रेलवे के लिये पूंजी परियोजना को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए किया गया है।


भाग- A

अमृत काल के लिये बजट का वज़िन

■ अमृत काल:

- भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल में पहला बजट कहा। अमृत काल का वज़िन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मज़बूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-संचालित और ज्ञान-आधारित है।

अमृत काल के लिए विज़न



युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर

रोजगार सृजन में वृद्धि

सुदृढ़ और स्थिर वृहत - आर्थिक वातावरण

//


- बजट में इंडिया@100 तक पहुँचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है:
 - स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
 - पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM विकास)
 - मशिन मोड में पर्यटन को बढ़ावा
 - हरित विकास

बजट 2023-24 की प्राथमिकताएँ:

सप्तर्षि - 7 प्राथमिकताएं



प्राथमिकता- 1: समावेशी विकास:



ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन



पीएम – किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण



पीएमएसबीवाई* और पीएमजेजेवाई^ के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर

एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए



उपलब्धियां-समावेशी विकास

47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते

उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन



102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके



■ कृषि:

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक बनेफिटि के तौर पर कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिसके नमिन्लखिति परणाम होंगे:
 - समावेशी किसान-केंद्रित समाधान
 - फसल योजना/स्वास्थ्य के लिये परासंगिक सूचना सेवाएँ
 - कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुँच
 - कृषि-प्रौद्योगिकी उद्योग और स्टार्ट-अप का विकास-समर्थन
- कृषि-स्टार्टअप के लिये वित्तपोषण: ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
- कृषि-ऋण: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
 - मछुआरों, मछली विक्रेताओं और MSME के लिये 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य नविश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू की जाएगी।
- बागवानी: आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परियोजना के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा।
- कदन्न: भारत को 'श्री अन्न' (पोषक अनाज/कदन्न) हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिये 'भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को साझा करने हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।
- कृषि सहकारी समितियाँ: "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये सरकार अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत भंडारण कृषमता स्थापित करने और कवर न किये गए गाँवों में कई सहकारी समितियों की स्थापना करने की योजना बना रही है।

■ शिक्षा और कौशल:


शिक्षा और कौशल

- ✓ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार
- ✓ बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना
- ✓ पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना



■ स्वास्थ्य:

- वर्ष 2014 से स्थापति मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- वर्ष 2047 तक [सकिल सेल एनीमिया](#) के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल होगा:
 - जागरूकता बढ़ाना
 - प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों (0-40 वर्ष की आयु) की यूनविर्सल स्क्रीनिंग
 - केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श



सबका साथ सबका विकास - समावेशी विकास

स्वास्थ्य



157 नए नर्सिंग कॉलेज
स्थापित करना

सिकल सैल एनीमिया उन्मूलन
मिशन शुरू करना



फार्मास्यूटिकल विकास
अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु
नया कार्यक्रम शुरू करना

आईसीएमआर की चुनिंदा
प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए
सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा
अनुसंधान को प्रोत्साहित करना



प्राथमिकता- 2: अंतिम छोर तक पहुँचना

- नया 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम':
 - [आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम](#) की सफलता के आधार पर [आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम](#) हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए शुरू किया गया था।
 - इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे जैसे कई कर्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है।
- प्रधानमंत्री कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) विकास मिशन:
 - [वर्षेष्ट रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों \(Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTG\)](#) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
 - इससे PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी और [स्थायी आजीविका के अवसरों](#) तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
 - [अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्यक्रम](#) के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिये 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 - केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले [740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों](#) के लिये 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भी भरती करेगा।

अंतिम छोर तक पहुंचना



प्रधानमंत्री पीवीटीजी* विकास मिशन शुरू करना

कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता



740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना

प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत (श्री)^ की स्थापना



- सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिये जल:
 - कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिये भूमिगत वाटर टैंकों को भरने हेतु 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
- अन्य पहल:
 - प्रधानमंत्री आवास योजना के परवियय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है
 - पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल एपग्राफी संग्रहालय में 'भारत साझा शिलालेख (भारत श्री)' स्थापित किया जाएगा।

प्राथमिकता- 3: अवसंरचना और नविश

- अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि:
 - पूंजी नविश परवियय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है जो 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है।
 - 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए है जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है।
- पूंजीगत नविश हेतु राज्य सरकारों को सहायता:
 - सरकार ने अवसंरचना में नविश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतितगत कार्यों के लिये प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिये जारी रखने का फैसला किया है।
 - इसके लिये बढ़ा हुआ परवियय 1.3 लाख करोड़ रुपए है।
- रेलवे:

- **रेलवे** के लिये **2.40 लाख करोड़ रुपए** का पूंजी परवियय प्रदान किया गया है, यह अब तक का सबसे अधिक परवियय है जो वर्ष 2013-14 में किये गए परवियय का लगभग 9 गुना अधिक है।

■ **वमिनन:**

- कषेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हेतु **50 अतरिकित हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड** को पुनर्वकिसति किया जाएगा।

■ **अन्य परविहन परियोजनाएँ:**

- नजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के नविश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिये **अंतिम छोर तक पहुँच हेतु 100 महत्त्वपूर्ण परविहन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।**
- **प्राथमिकता प्राप्त कषेत्र** के लिये ऋण की उपलब्धता हेतु एक शहरी अवसंरचना विकास नधि (Urban Infrastructure Development Fund- UIDF) की स्थापना की जाएगी।
 - UIDAF का प्रबंधन **राष्ट्रीय आवास बैंक** द्वारा किया जाएगा और टयिर 2 और टयिर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा।
 - इस उद्देश्य के लिये वार्षिक आधार पर **10,000 करोड़ रुपए आवंटित किये जाएंगे।**



अवसंरचना और निवेश

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

गुणक
प्रभाव

विकास और रोजगार में वृद्धि



पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ करना



अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना



रेलवे के लिए ₹2.4 लाख करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय



पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं




यूआईडीएफ** की स्थापना द्वारा श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन

प्राथमिकता- 4: क्षमता को उजागर करना:

- अनुपालन को कम करना और जन विश्वास वधियक:
 - **कंपनी अधिनियम 2013 में किये गए संशोधनों** के तहत व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिये 39,000 से अधिक अनुपालन कम किये गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है।
 - विश्वास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिये **जन विश्वास वधियक** पेश किया।
- AI के लिये उत्कृष्टता केंद्र:
 - "मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया" के वज़िन को साकार करने के लिये शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में **आर्टफिशियल इंटेलिजेंस** के लिये तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
 - कृषि, स्वास्थ्य और स्थायी शहरों में अनुसंधान, अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और बेहतर समाधान पेश करने में अग्रणी उद्योग के अभिकर्त्ता महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिएंगे।

- **राष्ट्रीय डेटा शासन नीति:**
 - स्टार्टअप्स और शि्षावर्षों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान की सुवधि के लिये एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी, जो अज्ञात डेटा तक पहुँच को सक्षम करेगी।
- **डेटा शेयरिंग के लिये डजिलॉकर:**
 - वभिन्न प्राधिकरणों, नयामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के सा, जब भी आवश्यक हो दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और साझा करने के लिये MSME, बड़े व्यवसाय तथा धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिये एक डजिलॉकर स्थापित किया जाएगा।
- **वविादों का समाधान:**
 - **वविाद से वशिवास:** MSME के लिये कम कठोर अनुबंध नषिपादन (कोवडि अवधि के दौरान प्रभावति MSME को राहत के रूप में प्रदान किया जा रहा है)।
 - सरकार और सरकारी उपकरणों के संवदिात्मक वविादों के तेज़ी से नषिटान को सक्षम करने वाली आसान और मानकीकृत नषिटान योजना।
 - **ई-न्यायालय:** न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिये ई-न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा।
- **5G प्रौद्योगिकी:**
 - इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिये 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोज़गार की संभावनाओं की एक नई शृंखला को साकार किया जा सके।
 - प्रयोगशालाओं में स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेल्जेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर एप जैसे एप्लीकेशन की सुवधि होगी।

प्राथमकिता- 5: हरति वकिस:



हरित विकास

हरित ऋण कार्यक्रम

पीएम- प्रणाम* की शुरुआत

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक ऊर्ध्वकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

500 नए 'अवशिष्ट से धन' संयंत्र

चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन# स्कीम के तहत स्थापित किए जाने हैं।

संभरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए* के तहत अधिसूचित किया जाना है।

संभरणीय पारितंत्र विकास

- तट रेखा के साथ-साथ मैन्ग्रूव पौधारोपण के लिए मिश्री^ की शुरुआत
- आर्द्र भूमियों के ईष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन

अन्य पहलें

- किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केन्द्रों की स्थापना
- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा
- ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन को बढ़ावा
- पुराने प्रदुषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन



राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन:

- **राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन** के लिये 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिये तैयार किया जा सके।
- **लक्ष्य:** वर्ष 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुँचने का लक्ष्य है।

गोबरधन योजना:

- चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजि आर्गेनिक बायो-एग्रो रसोर्सिजि धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए 'अपशिष्ट से आमदनी' संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
- प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिये **5 प्रतिशत का कम्प्रेसिड बायोगैस अधिषिषि** भी लाया जाएगा।

भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र:


- सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी। इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक एवं कीटनाशक वनिरिमाण नेटवर्क तैयार करते हुए **10,000 बायो-इनपुट संसाधन**

केंद्र स्थापति किये जाएंगे।

■ हरित ऊर्जा में अन्य नविश:

- ऊर्जा संक्रमण और [शुद्ध शून्य उद्देश्यों](#) तथा ऊर्जा सुरक्षा (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) की दृष्टि में प्राथमिकता वाले पूंजी नविश के लिये 35,000 करोड़ रुपए।
- 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को [व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण](#) के साथ समर्थति किये जाएंगे।
- लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और [ग्रुडि एकीकरण](#) हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिये 20,700 करोड़ रुपए (केंद्रीय सहायता- 8,300 करोड़ रुपए)।

प्राथमिकता- 6: युवा शक्ति:



युवा शक्ति

अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण

» प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0

- » ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन आदि

» स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म

- » मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा



₹
केन्द्रीय
बजट
2023-24



युवा शक्ति

अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण

- › राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रोत्साहन योजना
 - › 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा
- › पर्यटन को बढ़ावा
 - › 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा
- › राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना
 - › एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा



₹
केन्द्रीय
बजट
2023-24

■ MSME के लिये क्रेडिट गारंटी:

- वर्ष 2022 में [MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना](#) को नया प्रारूप दिया गया था और यह 1 अप्रैल, 2023 से **9,000 करोड़ रुपए की राशि** के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी।
 - इससे अतिरिक्त **2 लाख करोड़ रुपए के संपार्श्विक (collateral) मुक्त गारंटीकृत ऋण की अनुमति मिलेगी।**
 - **क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी।**
 - इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त गारंटीकृत ऋण प्रदान किया जा सकेगा।
 - **क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी।**

■ वित्तीय सूचना रजिस्ट्री:

- **वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिये** एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी।
- यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, जो वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।
- **एक नया वधियाई ढाँचा, जिससे RBI के परामर्श से तैयार किया गया है, इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को नयितरति करेगा।**

■ लघु बचत योजनाएँ:

- आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु **एक बार नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, को मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।**
 - यह **आंशिक नकिसी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों (7.5% की निश्चित ब्याज दर) के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा।**
- **वर्षिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिये अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी।**
- **मासिक आय खाता योजना के लिये अधिकतम जमा सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए (एकल खाते के लिये) और 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए (संयुक्त खाते के लिये) की जाएगी।**



वित्तीय क्षेत्र

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना

ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा

केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना

कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी।



महिला सम्मान बचत पत्र

महिलाओं के लिए ₹2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बारगी नई लघु बचत योजना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया गया है

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम

₹2 लाख करोड़ का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पोस निधि का विस्तार

अन्य पहलें

- जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहलें
- प्रतिभूति बाजारों में शैक्षिक प्रमाण-पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना

राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति:

■ पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग:

- वित्त मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिये अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिये।
- इसमें से अधिकांश राज्यों के वविक पर निर्भर होगा, हालाँकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये नामति राज्यों हेतु एक हस्सिा सशरत होगा, जैसे:
 - पुराने सरकारी वाहनों को बदलना।
 - शहरी नयिोजन में सुधार।
 - शहरी स्थानीय नकियाँ को नगरपालिका बॉण्ड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना।
 - पुलसि अधिकारियों हेतु आवास का नरिमाण।
 - एकीकृत मॉल का नरिमाण।
 - बच्चों और कशिोरों हेतु पुस्तकालयों तथा डजिटल बुनयिादी ढाँचे का नरिमाण करना।
 - केंद्रीय योजनाओं के पूंजीगत व्यय में योगदान करना।

■ राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमतति:

- राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.5% घाटा रखने की अनुमतति है, इस राशा का 0.5% वशिष रूप सेवदियुत


क्षेत्र में सुधारों के लिये निर्धारित है।

■ संशोधित अनुमान 2022-23:



- कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर): 24.3 लाख करोड़ रुपए।
 - शुद्ध कर प्राप्ति: 20.9 लाख करोड़ रुपए।
- कुल व्यय: 41.9 लाख करोड़ रुपए।
 - पूंजीगत व्यय: 7.3 लाख करोड़ रुपए।
- राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 6.4%।

■ बजट अनुमान 2023-24:

- बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।
 - नविल कर प्राप्तियाँ 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा GDP के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
 - वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिये वित्तपोषण प्रतभूतियों से नविल बाज़ार उधारियाँ 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
 - सकल बाज़ार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपए है।
- साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिये इस योजना पर अडिग रहने हेतु प्रतिबद्ध है।



घाटे की प्रवृत्तियां



प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार:

- **व्यक्तिगत आयकर:**
 - व्यक्तिगत आयकर से संबंधित पाँच प्रमुख घोषणाएँ हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है।
 - इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
 - नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढाँचे में स्लैब की संख्या को घटाकर पाँच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है।
- **अन्य कर सुधार:**
 - **मानक कटौती:**
 - नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु **मानक कटौती** को बढ़ाकर 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन के लिये कटौती को 15,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है।
 - **MSMEs:**
 - **सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिये प्रकल्पित कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है**, जब तक कि नकद में प्राप्त राशिकुल सकल प्राप्तियों/कारोबार के 5% से अधिक न हो।
 - **MSME को किये गए भुगतान के लिये कटौती की अनुमति** केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान वास्तव में भुगतान की समय पर प्राप्त (Timely Receipt) में सहयोग करने के लिये किया गया हो।
 - **सहकारिता:**
 - 31 मार्च, 2024 से पहले वनरिमाण शुरू करने वाली नई वनरिमाण **सहकारी समितियों** पर कर की दर 15% कम होगी।
 - **प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों** द्वारा नकद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है।
 - सहकारी समितियों की नकद निकासी पर **स्रोत पर की गई टैक्स (कर) कटौती को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है।**
 - **स्टार्टअप:**
 - **स्टार्टअप** को आयकर लाभ प्राप्त करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिये हानियों को अग्रपेक्षा करने की अवधि को नगिनन के 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
 - **ऑनलाइन गेमिंग:**
 - **ऑनलाइन गेमिंग** पर करदेयता को TDS के साथ और निकासी के समय अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में जीती गई कुल राशि पर करदेयता के साथ स्पष्ट किया जाएगा।
 - **सोना:**
 - सोने के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसिप्ट में परिवर्तन और इसके विपरीत (Vice Versa) को **पूँजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।**
 - **आयकर से छूट:**
 - आयकर प्राधिकरण बोर्ड और आयोग जिसकी स्थापना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आवास, शहर, कस्बे और गाँव के विकास लिये नियामक एवं विकास गतिविधियों या कार्यों हेतु की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव।
 - **अग्निवीर** नधि को EEE स्तर परदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किये गए भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव।
 - अग्निवीरों की कुल आय में की गई कटौती राशि को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो कि उन्होंने योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने उनकी सेवा के लिये उनके खाते में हस्तांतरित किया है।
- **कॉमन IT रटिर्न फॉर्म:**
 - करदाताओं की सेवाओं में सुधार के लिये सरकार ने शकियत नविवरण तंत्र को मज़बूत करने की योजना के साथ-साथ करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के कॉमन आईटी रटिर्न फॉर्म के लिये एक प्रस्ताव पेश किया।
- **वर्तमान और प्रस्तावित कर दरें:**

कर की दर	वर्तमान आय स्लैब	प्रस्तावित आय स्लैब
शून्य	2.5 लाख रुपए तक	3 लाख रुपए तक
5%	2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक	3 लाख से 6 लाख रुपए तक
10%	5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक	6 लाख से 9 लाख रुपए तक
15%	7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक	9 लाख से 12 लाख रुपए तक
20%	10 लाख से 12 लाख रुपए तक	12 लाख से 15 लाख रुपए तक
25%	12 लाख से 15 लाख रुपए तक	-
30%	15 लाख रुपए से अधिक	15 लाख रुपए से अधिक


अप्रत्यक्ष कराधान हेतु प्रस्तावित सुधार:

■ सीमा शुल्क:

- वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य सामानों हेतु **मूल सीमा शुल्क** दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।
- नरिदष्टि सगिरेट्स पर **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty- NCCD)** में लगभग 16% की वृद्धि की गई है।
- **शुल्क में वृद्धि:**
 - सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुएँ
 - चाँदी की डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क
- **शुल्क से छूट:**
 - मशिरति संपीडति पराकृतकि गैस में नहिहि **संपीडति बायोगैस**।
 - परीक्षण एजेंसियाँ जो परीक्षण और/या प्रमाणन उद्देश्यों हेतु वाहनों, ऑटोमोबाइल उपकरण/घटकों, उप-प्रणालियों तथा टायरों का आयात करती हैं।
 - साथ ही **इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी** हेतु लथियम-आयन सेल नरिमाण के लयि नरिदष्टि मशीनरी पर सीमा शुल्क की समयसीमा को बढ़ाकर **31.03.2024** कर दयि गयि है।
 - रासायनकि उद्योग में प्रयुक्त वकित एथलि अल्कोहल।

■ सीमा शुल्क कानूनों में वधियी परविरतन:

- सीमा शुल्क अधनियम, 1962 को संशोधति कयि जा रहा है ताकि आवेदन दायर होने के बादसमाधान हेतु अंतमि नरिणय लेने के लयि नौ महीने की समयसीमा नरिधारति की जा सके।
- एंटी डंपिंग ड्यूटी (ADD), काउंटरवेलगि ड्यूटी (CVD) और सेफगार्ड उपायों के उद्देश्य एवं दायरे को स्पष्ट करने के लयि **सीमा शुल्क अधनियम** को संशोधति कयि जायगा।
- **केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधनियम** में भी कयि जाँगे बदलाव:
 - GST के तहत **अभयिजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशिक 1 करोड रुपए से बढ़ाकर 2 करोड रुपए की जायगी।**
 - **कर के लयि चक्रवृद्धि राशिको कर राशिके 50-150% से घटाकर 25-100% कर दयि जायगा।**
 - कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कयि जायगा।
 - **रटिरन या स्टेटमेंट दाखलि करने की अवधिनयित तारीख से अधिकतम तीन वर्ष तक सीमति होगी।**
 - अपंजीकृत आपूरतकिरतताओं और कंपोजशिन करदाताओं को **ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECO)** के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूरतकिरने की अनुमति दी जायगी।



प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

☑ एमएसएमई और पेशेवर:

- सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमाओं को क्रमशः ₹3 करोड़ और ₹75 लाख तक बढ़ाया जाएगा

☑ सहकारिता:

- विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉर्पोरेट कर का लाभ
- सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर ₹3 करोड़ की उच्चतम सीमा

☑ स्टार्ट-अप:

- स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2024 किया गया

☑ आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा ₹10 करोड़ हुई

☑ अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स से छूट





अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव



☑ समुद्री उत्पाद:

- श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी

☑ प्रयोगशाला-निर्मित हीरा:

- इनके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया जाएगा

☑ बहुमूल्य धातु :

- सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि
- चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि

☑ संमिश्रित रबर :


- संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया

☑ सिगरेट:


- विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि

रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है?

रुपया कहां से आता है



रुपया कहाँ जाता है



[स्रोत: केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24](https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/union-budget-2023-24)